

कार्यालय आदेश सं 14/17

रेलवे बोर्ड के पत्र सं पीसी/1/2000/एम ए सी पी /2 दिनांक 10.06.09 एवं महाप्रबंधक (का) गोरखपुर के पत्र सं ई/254/भाग - 19/11 दिनांक 16.06.09 द्वारा प्रसारित किया गया मे अर्न्तनिहित निर्देशों के अनुपालन में वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को एम ए सी पी के अर्न्तगत वित्तीय उन्नय का लाभ दिये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा छान परीक्षा दिनांक 20.11.15 को होने फलस्वरूप योग्य पाये गये कर्मचारियों को इस कार्यालय के आदेश सं 96/15 दिनांक 17.12.15 द्वारा एम ए सी पी के तहत उनके लाभ की तिथि से उन्नय का लाभ दिया गया था परन्तु श्री रविन्द्र शर्मा उपमुटिनि /गोरखपुर/पूर्व को एम ए सी पी के तहत तृतीय वित्तीय उन्नय ग्रेड पे 4800 का लाभ दिनांक 01.08.15 से दिया जाना था परन्तु दण्ड लम्बित रहने के कारण ग्रेड पे का लाभ नहीं किया गया था को अब दिनांक 06.09.16 को दण्ड से मुक्त होने पर दिनांक 06.09.16 से ग्रेड पे 4800 (तृतीय उन्नय) का लाभ देते हुये वेतन निर्धारित निम्नवत किया जाता है।

क्रम सं	नाम	वर्तमान पद एवं कार्यस्थल	लेवल वेतन दर	स्टेज वेतन दर	निर्धारित वेतन एवं लेवल	प्रभावी तिथि
01	रविन्द्र शर्मा	गोरखपुर पूर्व	07 06.09.16=62200 एम ए सी पी के तहत	तृतीय	08 64100	06.09.16

नोट -विकल्प पर वेतन निर्धारित हेतु आदेश एक माह के अन्दर दिया जा सकता है।

- सं का /वा/227/एम ए सी पी /वा.संस्वर्ग/09
प्रतिलिपि सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 1.वमविई/वाराणसी
 - 2.वमवाप्र/वाराणसी
 - 3.का.आ.पुस्तिका
 - 4.संबंधित कर्मचारी
 - 5.कार्याधी परि./बिल
 - 6.मुटिनि/गोरखपुर
 - 7.मंडल मंत्री नरमू अजा अजजा एसो /वाराणसी

कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
वाराणसी
दिनांक 02.03.17

कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
वाराणसी